	किया जा सकता है । (क) यदि वह व्यक्ति द्वीप परिषद का कोई सदस्य है और उनके खिलाफ धारा 87 की उप–धारा (2) तथा (3) में विहित रीति में कार्यवाही की गई है; और (ख) यदि वह व्यक्ति द्वीप परिषद का कोई सदस्य न हो तो उस व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तथा उस व्यक्ति को निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिभार की राशि द्वीप परिषद के पास अदा करने का निर्देश देगा और यदि समय–सीमा के भीतर राशि अदा नहीं की जाती है तो उपायुक्त विहित रीति के अनुसार वसूली करेगा । (4) कोई व्यक्ति उप धारा (3) के अधीन उपायुक्त के किसी आदेश द्वारा व्यथित है तो इस आदेश के तिथि से तीस दिनों के भीतर सचिव जनजातीय को अपील दे सकता है ।	
	83. (1) प्रत्येक द्वीप परिषद को वार्षिक रूप से पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान द्वीप परिषद के प्रशासन पर एक रिपोर्ट उपायुक्त के पास प्रस्तुत करनी होगी । (2) रिपोर्ट चीफ कैप्टन द्वारा तैयार किया जाएगा और तत्पश्चात उसे द्वीप परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उसके आधार पर द्वीप परिषद की संकल्प की प्रति के साथ उसे उपायुक्त को अग्रेषित किया जाएगा ।	प्रशासनिक रिपोर्ट
	84. (1) उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त के पास निम्नलिखित शक्ति होगी :– (क) मंगाने की शक्ति :– (i) किसी द्वीप परिषद के कब्जाधीन अथवा नियंत्रणाधीन में किसी द्वीप परिषद की कार्यवाही, किसी पुस्तक, अभिलेख, पत्राचार अथवा दस्तावेज से कोई निष्कर्षण; निरीक्षण अथवा परीक्षण के उद्देश्य के लिए कोई विवरण, योजना, अनुमान, ब्यौरा, लेखा अथवा रिपोर्ट ।	कार्यवाही मंगाने की शक्ति
	85. यदि किसी भी समय उपायुक्त को यह प्रतीत होता है कि ग्राम परिषद ने इस विनियम द्वारा सौंपे गए किसी कर्तव्य के निष्पादन में जानबूझ कर चूक किया है, तो उसे लिखित आदेश द्वारा इस कर्त्तव्य के निष्पादन के लिए एक अवधि निर्धारित करेगा और यदि निर्धारित	द्वीप परिषद द्वारा कर्त्तव्य के निष्पादन में चूक